लय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज जनक बनाम रामसहाय वगै0 मु0 नं. 80/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवान जनक बनाम रामसहाय मु.नं. 134/1999 दिनांक 31.01.2004 को उभय पक्षकारान की बहस सुनकर प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया था परन्तु प्रार्थीगण के पिता वादी बदरी ही उक्त दावे की पैरवी करते थें । प्रार्थी बदरी के बीमार हो जाने के कारण उपस्थित नही होने के कारण दावा दिनांक 13.07.2007 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया था। प्रार्थीगण के मुकदमा की सारी तकमील पूरी हो गई थी जिसमें घोषणा खातेदारी तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के डिक्री करने के बाद कुर्रे रिपोर्ट भी आ गई थी जिस पर बहस होनी थी और तकास्मा का निर्णया पारित करना था लेकिन दावा खारिज हो गया था। प्रार्थीगण का विवादित भूमि मुकदमा में हिस्सा है जिसकी खातेदारी भी न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। इस प्रकार प्रार्थीगण का हित निहित है तथा मुकदमा मे प्रार्थी के चाचा जानबूझकर नही बल्कि बीमार होने एवं फिर देहान्त हो जाने के कारण हाजिर नही हो सके थे और उसके बाद वकील साहब का भी देहान्त हो गया था इस प्रकार मजबूरीवश मुकदमा में नियत समय में कार्यवाही नही कर सके थे अब प्रार्थना पत्र बाजदायरी धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश किया जा रहा है। यदि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। प्रार्थीगणों को अकथीनय क्षति होगी जिसकी पूर्ति प्राथीगणों को किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी। अंत में निवेदन किया कि मुकदमा पुनः नंबर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाने के आदेश प्रदान करें।

मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार से तलब की गई। हमने वकील प्रार्थी के बहस सुनी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया। बाद गौर बहस व पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहित है। न्यायहित में प्रार्थीगण के हितो को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के वादपत्र को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)